पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0–(भारत–नेपाल सीमा पथ)–पू0 चम्पारण–219 / 2013–....3128..... / रा0.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

एस0ओ0 रा0 पटना,दिनांक.....31–12–13

चूकिं बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–धरहरी, थाना–आदापुर, थाना न0–167, जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इण्डो–नेपाल बोर्डर पर सड़क निर्माण के लिए अर्जित 7 एकड़ 02.84 डी0 जमीन के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है,इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त ग्राम–धरहरी, थाना न0–167 के भीतर कमोवेश बीधा X कट्ठा X धूर की जो मानक माप से 7 एकड़ 02.84 डी0 के बराबर होता है, एक भूखंड अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खेसरा सूची :–अंश खेसरा–578, 583, 580, 581, 582, 562, 564, 563, 560, 559, 558, 636, 638, 637, 639, 640, 643, 686, 655, 654, 656, 684, 683, 661, 682, 681, 713, 714, 715, 566

चौहदी.– उ0– मौजा–महुआवा,थाना न0–163
द0– मौजा–धरमनगर,थाना न0–166
पु0–खेसरा–568,583,582,581,566,564,563,560,559,636,638,637,640,686,655,656,684,683,682, 713,715
प0–खेसरा–577,578,580,581,582,566,562,563,561,560,556,558,638,639,640,643,655,654,656 684,683,661,682,681,713,714

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेगें।

यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा–6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा–3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबध हैं।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण मोतिहारी

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0
सरकार के उपसचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

— 3128

पत्र संख्या—14 / डी0एल0ए0—(भारत—नेपाल सीमा पथ)—पू0 चम्पारण—219 / 2013 —/ रा0, पटना, दिनांक 31-12-13

प्रतिलिपि:—

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू0 चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

3. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

30/12/13

सरकार के अवर सचिव।